

#### असाधारण

### EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

# प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 15] नई दिल्ली, मंगलवा

No. 15]

नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 3, 2017/ पौष 13, 1938

NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 3, 2017/PAUSA 13, 1938

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 03 जनवरी, 2017

<u>सं. 33 / 2015-2020</u>

विषय:- आईटीसी (एचएस), 2012-अनुसूची-ा (आयात नीति) के अध्याय 41और 43 के तहत वर्गीकृत मदों की आयात नीति में संशोधन।

का.आ. 16(अ).—समय-समय पर यथासंशोधित विदेश व्यापार नीति, 2015-2020 के पैरा 1.02 और 2.01 के साथ पिठत विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा-3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्वारा आईटीसी (एचएस), 2012-अनुसूची-1 (आयात नीति) के अध्याय-41 और 43 के तहत वर्गीकृत निम्नलिखित मदों की आयात नीति में निम्नानुसार संशोधन करती है:

एक्जिम कोड	मद विवरण	नीति	मौजूदा नीतिगत शर्तें	संशोधित नीति
41133000	सरीसृप के	मुक्त	आयात वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 और साइट्स की शर्त के अधीन है।	निषिद्ध
43011000	मिंक के, संपूर्ण, सिर, पूँछ या पंजे के साथ या उसके बिना	मुक्त	आयात वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 और साइट्स की शर्त के अधीन है।	निषिद्ध
43016000	लोमड़ी के, संपूर्ण, सिर, पूँछ या पंजे के साथ या उसके बिना	मुक्त	आयात वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 और साइट्स की शर्त के अधीन है।	निषिद्ध
43018000	अन्य फर स्किन्स के, संपूर्ण, सिर, पूँछ या पंजे के साथ या उसके बिना	मुक्त	आयात वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 और साइट्स की शर्त के अधीन है।	मुक्त तथापि चिंनचिला के फर का आयात निषिद्ध है।

28 GI/2017 (1)

43021100	मिंक के	मुक्त	आयात वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम,	निषिद्ध
			1972 और साइट्स की शर्त के अधीन	
			है।	

**3. इस अधिसूचना का प्रभाव:** आईटीसी (एचएस) 2012 के अध्याय-41 और 43 के तहत कुछ मदों की आयात नीति संशोधित की जाती है।

[फा. सं. 01/89/180/118/एएम-02/पीसी-2(क)] ए. के. भल्ला, महानिदेशक, विदेश व्यापार

# MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

# **NOTIFICATION**

New Delhi, the 3rd January, 2017

#### No. 33/2015-2020

Subject:Amendment in import policy of items classified underChapter41&43 of ITC (HS),2012–Schedule-I (Import Policy).

**S.O. 16(E).**—In exercise of powers conferred by Section 3 of FT (D&R) Act, 1992, read with paragraph 1.02 and 2.01 of the Foreign Trade Policy, 2015-2020, as amended from time to time, the Central Government hereby amends the import policy of the following items classified under Chapter 41 and 43 of ITC (HS), 2012 – Schedule – 1 (Import Policy), as under:

Exim Code	Item Description	Policy	Existing Policy Conditions	Revised Policy
41133000	Of reptiles	Free	Imports are subject to Wild Life (Protection) act, 1972 and CITES.	Prohibited
43011000	Of mink, whole, with or without head, tail or paws	Free	Imports are subject to Wild Life (Protection) act, 1972 and CITES.	Prohibited
43016000	Of fox, whole, with or without head, tail or paws	Free	Imports are subject to Wild Life (Protection) act, 1972 and CITES.	Prohibited
43018000	Other furskins, whole, with or without head, tail or paws	Free	Imports are subject to Wild Life (Protection) act, 1972 and CITES.	Free. However import of fur of Chinchilla is Prohibited
43021100	Of mink	Free	Imports are subject to Wild Life (Protection) act, 1972 and CITES.	Prohibited

3. Effect of this Notification: Import policy of some items under Chapter 41 and 43 of ITC (HS) 2012 is revised.

[F. No. 01/89/180/118/AM-02/PC-2 (A)]

A. K. BHALLA, Director General of Foreign Trade